प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिटयाचिका (सी) क्रमांक **4223/2008**

याचिकाकर्ता : छत्तीसगढ़ के निजी व्यावसायिक गैर- अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों का संघ

बनाम

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

आदेश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचार के लिए

हस्ताक्षर/-

एन.के. अग्रवाल

न्यायाधीश

माननीय श्री आई.एम. कुद्दुसी, न्यायाधीश

मेरी सहमती है।

हस्ताक्षर/-
आई.एम. कुद्दुसी
न्यायाधीश

दिनांक 20-8-2010 को सूचीबद्ध करें।

हस्ताक्षर/-

न्यायाधीश

19-8-2010

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सी) क्रमांक 4223/2008

याचिकाकर्ता : छत्तीसगढ़ के निजी व्यावसायिक गैर- अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों का संघ

बनाम

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

युगलपीठ:- माननीय श्री आई.एम. कुद्दुसी और

माननीय श्री एन.के. अग्रवाल, न्यायाधीशगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:-

याचिकाकर्ताओं की ओर से श्री जितेंद्र पाली, अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से श्री अमृतो दास, पैनल अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 2 और 3 के और से श्री प्रमोद वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री सुमित वर्मा, अधिवक्ता।

आदेश

(20-8-2010)

एन.के. अग्रवाल, न्यायाधीश द्वारा

1. सेंट विंसेंट पैलोटी महाविद्यालय, एक गैर- अनुदान प्राप्त महाविद्यालय है। जो उत्तरवादी /विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है और राज्य अल्पसंख्यक आयोग

द्वारा अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में स्वीकृति प्राप्त है, ने रिट याचिका (सी) क्रमांक 831/2008 दायर की थी। उसी का निर्णय इस न्यायालय की युगलपीठ द्वारा इसके आदेश दिनांक 23 जुलाई, 2008 के माध्यम से रिट याचिका (सी) क्रमांक 2291/2008 के साथ किया गया था, जिसमें इसके निर्णय के कंडिका 18 में निम्नलिखित निष्कर्ष दिया गया है:-

> "इसी भांति, परिनियम-28 (महाविद्यालय कोड) विशेष रूप से, भाग-**III**, **IV**, खंड 17 से 21, खंड 29, भाग **VI** और खंड 30-32, जो महाविद्यालय का प्रबंधन करने के लिए शासी निकाय के सदस्यों के रूप में विश्वविद्यालय के दो प्रतिनिधियों और सरकार के एक नामित व्यक्ति की नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं; महाविद्यालय परिषद का गठन; सचिव की नियुक्ति; शासी निकाय में रिक्ति भरने की प्रक्रिया; शासी निकाय की बैठकों की अवधि; समिति की संपत्ति के हस्तांतरण पर प्रतिबंध; महाविद्यालय के प्रधानाचार्य की नियुक्ति के लिए चयन समिति का गठन शिक्षकों की नियुक्ति और उनकी नियुक्ति का तरीका, दिशानिर्देश, फीस, वेतनमान और सेवा की अन्य शर्तें और शिकायतों के निवारण के लिए मंच तय करना, प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति, अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामले में कार्यकारी परिषद की मंजूरी की आवश्यकता पर जोर देने वाला प्रावधान आदि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत गारंटीकृत एक गैर-अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थान के अपने स्वयं के शैक्षिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने के अधिकार में गंभीर हस्तक्षेप है और इसलिए, इसे कार्यकारी परिषद के संकल्प के बहाने उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा परिनियम -28 के अनुसार लागू नहीं किया जा सकता है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. उपर्युक्त निर्णय/आदेश के खिलाफ, विश्वविद्यालय द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है, जिसमें नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया है।

3. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, वर्तमान याचिकाकर्ता ने अपनी चुनौती को पं. रवि शंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के परिनियम -28(17) तक सीमित रखा है, जो महाविद्यालय के प्राचार्य और शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चयन समिति के गठन का प्रावधान करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. मामले के तथ्य संक्षेप में, इस प्रकार हैं:-

i) याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 में एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट अनएडेड कॉलेजेस ऑफ छत्तीसगढ़ के नाम से पंजीकृत एक समिति है और इसका पंजीकृत कार्यालय कोहका, कुरुद रोड, भिलाई, जिला दुर्ग में है। इसके सदस्य प्रतिवादी-विश्वविद्यालय से संबद्ध छत्तीसगढ़ राज्य के गैर-अनुदान प्राप्त निजी महाविद्यालय हैं।

ii) उत्तरवादी क्रमांक 3/ विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (संक्षेप में, **"अधिनियम, 1973"**) के प्रावधानों के तहत स्थापित है और यह भी एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयहै।, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संक्षेप में, **"यूजीसी"**) के तहत है। उत्तरवादी क्रमांक 3 ने, अधिनियम, 1973 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिनियम 28, जिसे लोकप्रिय रूप से महाविद्यालय संहिता के रूप में जाना जाता है, को बनाया है।

iii) याचिकाकर्ता का मामला यह है कि परिनियम -28(17) में निहित प्रावधान, जो प्राचार्य और शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चयन समिति के गठन का प्रावधान करता है, यूजीसी अधिनियम, 1956 द्वारा यूजीसी को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में यूजीसी द्वारा बनाए गए विनियमों के साथ सीधे तौर पर विरोधाभास में है और इसलिए, यूजीसी द्वारा बनाए गए विनियमों के अधिकार से परे है और निजी गैर- अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के प्रशासन के संबंध में अप्रवर्तनीय है।

5. अधिनियम, 1973, भारत के संविधान की अनुसूची 7 की सूची **III** की प्रविष्टि 25 के प्रावधानों के तहत मध्य प्रदेश/ छत्तीसगढ़ में विश्वविद्यालयों के संगठन और प्रशासन के लिए बेहतर प्रावधान करने हेतु अधिनियमित किया गया था। इसके उद्देश्यों और कारणों का विवरण नीचे उद्धृत है:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"राज्य में विश्वविद्यालय शिक्षा वर्तमान में आठ विश्वविद्यालयों द्वारा नियंत्रित है, जिनकी स्थापना राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित विभिन्न विधियों के तहत की गई है। चूंकि इन अधिनियमों के प्रावधान एक दूसरे से भिन्न हैं, इसलिए इन विश्वविद्यालयों के कामकाज में असमानता है, जिससे शैक्षणिक के साथ-साथ अन्य संबंधित मामलों में भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। चूंकि विभिन्न विश्वविद्यालय विभिन्न विधियों के तहत काम करते हैं, इसलिए उनकी गतिविधियों का समन्वय करना भी संभव नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति राज्य में विश्वविद्यालय शिक्षा के उचित विकास के लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय को छोड़कर, राज्य में विश्वविद्यालयों के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के लिए नियंत्रण समिति द्वारा अनुशंसित पर, एक समान विधि होना वांछनीय माना गया है।"

6. उत्तरवादी क्रमांक 3/विश्वविद्यालय ने अधिनियम, 1973 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिनियम-28 बनाया है। परिनियम 28 (17) कॉलेज के प्राचार्य और शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चयन समिति के गठन का प्रावधान करता है।

7. भारत के संविधान की सूची 1, अनुसूची 7 की प्रविष्टि 66 के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यूजीसी अधिनियम, 1956 अधिनियमित किया गया है:-

(1) "भारत का संविधान 'उच्च शिक्षा या अनुसंधान और वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों के लिए मानकों के समन्वय और निर्धारण' के संबंध में संसद को विशेष अधिकार प्रदान करता है। यह स्पष्ट है कि मानकों का समन्वय या निर्धारण तब तक संभव नहीं है जब तक केंद्र सरकार का पुराने और नए दोनों विश्वविद्यालयों में शिक्षण और परीक्षा के मानकों के निर्धारण में कुछ कहना न हो। यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम संभव प्रभाव के लिए उपयोग किया जाए। विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति के कारण यह समस्या हाल ही में और अधिक गंभीर हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए धन को विश्वविद्यालयों को निर्धारित करने और आवंटित करने के लिए एक उचित रूप से गठित आयोग की आवश्यकता भी इस खाते पर अधिक जरूरी हो गई है।

(2) इसलिए एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक निगमित निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव है जो विश्वविद्यालयों की वित्तीय आवश्यकताओं की जांच करेगा और किसी भी सामान्य या निर्दिष्ट उद्देश्य के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

लिए विश्वविद्यालयों को अनुदान आवंटित और वितरित करेगा। आयोग को किसी भी विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालयीन शिक्षा के सुधार और उन्नयन के लिए आवश्यक उपाय सुझाने और संबंधित विश्वविद्यालय को ऐसी सिफारिश को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में सलाह देने की भी शक्ति होगी। आयोग, विश्वविद्यालयों में सुविधाओं के समन्वय और मानकों के रखरखाव से संबंधित समस्याओं पर केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में कार्य करेगा। आयोग को, संबंधित विश्वविद्यालय के परामर्श से, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय का निरीक्षण या जांच कराने और विश्वविद्यालय को किसी भी ऐसे मामले पर सलाह देने की शक्ति भी होगी जो किसी जांच या निरीक्षण का विषय रहा हो। आयोग, नए विश्वविद्यालयों की स्थापना पर भी सलाह देगा चाहे ऐसी सलाह मांगी गई हो या नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) विधेयक 'विश्वविद्यालय' शब्द के उपयोग या उपाधि, आदि प्रदान करने की शक्ति को भारत में विधि द्वारा स्थापित संस्थानों तक या संसद के अधिनियम द्वारा ऐसा करने के लिए सशक्त संस्थानों तक सीमित रखने का भी प्रयास करता है और किसी व्यक्ति या निगमित निकाय द्वारा इन प्रावधानों के उल्लंघन के लिए शास्ति (दंड) का प्रावधान करता है।

(4) यद्यपि विधेयक के प्रावधान उन उच्च शिक्षा संस्थानों पर लागू नहीं होते हैं जो विश्वविद्यालय नहीं हैं, फिर भी केंद्र सरकार में यह शक्ति निहित है कि वह राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करके इस विधेयक के प्रयोजन के लिए किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान को विश्वविद्यालय घोषित कर सकती है।

8. यूजीसी अधिनियम की धारा 12, यूजीसी पर "शिक्षण के मानकों के निर्धारण और रखरखाव के लिए... ऐसे सभी कदम उठाने" का कर्तव्य डालती है, जो वह उचित समझे। धारा 12 के खंड (घ) और (ञ) भी यूजीसी को उच्च शिक्षा या अनुसंधान और वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों में विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रचार और समन्वय के उद्देश्य से और उसके कार्यों को करने के उद्देश्य से मानकों के रखरखाव के निर्धारण के लिए विनियम बनाने का अधिकार देते हैं। धारा 14 यूजीसी को किसी विश्वविद्यालय को उसकी सिफारिशों का पालन न करने पर, यदि कोई कारण बताया गया हो तो, उस कारण को ध्यान में रखने के बाद, अनुदान रोकने का अधिकार देती है। धारा 26 यूजीसी को, अन्य बातों के अलावा, किसी विश्वविद्यालय के शिक्षकों की योग्यता को परिभाषित करने और विश्वविद्यालयों में मानकों के रखरखाव और कार्य या सुविधाओं के समन्वय को विनियमित करने के लिए विनियम बनाने का अधिकार देती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 26(1)(ङ) और (छ) के साथ पठित धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी ने यूजीसी (विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति और करियर उन्नति के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता) विनियम, 2000 तैयार किया। विनियम 3.1.0 और 3.5.0 के अनुसार, यूजीसी ने महाविद्यालयों में व्याख्याताओं और प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति के गठन की सिफारिश की।

10. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री जितेंद्र पाली ने तर्क किया कि यूजीसी अधिनियम प्रविष्टि 66 के तहत अधिनियमित किया गया था। यूजीसी अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी ने विनियम बनाए हैं जो

अधिनियम, 1973 के तहत विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए विधियों पर प्रभावी होंगे। इसके अलावा, प्रविष्टि 25 सूची **III** के प्रावधानों के तहत अधिनियमित अधिनियम, 1973, प्रविष्टि 66 के तहत बनाए गए विधियों यानी यूजीसी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए विनियमों के अधीन है। विनियम 3.1.0 और 3.5.0 निजी महाविद्यालय में व्याख्याताओं और प्राचार्यों की नियुक्ति के लिया उपरोक्त विनियमों का सख्ती से पालन के लिए चयन समिति के गठन को अनिवार्य करती हैं। उपरोक्त विनियमों के अनुसार, यूजीसी ने निजी महाविद्यालय में मानक के समन्वय और रखरखाव को आगे बढ़ाने के लिए इसमें निर्धारित तरीके से एक चयन समिति के गठन की सिफारिश की थी।

परिनियम 28 (17) के तहत निर्धारित चयन समिति सीधे यूजीसी द्वारा विनियम 3.1.0 और 3.5.0 के माध्यम से अनुशंसित चयन समिति के विरोधभासी है और इसे लागू नहीं किया जा सकता है। मद्रास न्यायालय द्वारा किया गया है, कामराज महाविद्यालय बनाम डी.एस. अरुलमणि, पाठक और तमिल विभाग के प्रमुख, कामराज कॉलेज और अन्य (एम् ए एन यु/टी एन/0080/2008) के मामले में दिए गए निर्णय का अवलंकन किया है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. इसके विपरीत, विश्वविद्यालय की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी.के. वर्मा का तर्क है कि राज्य अधिनियम तब तक अच्छा है जब तक इसमें निजी संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती को विनियमित करने वाले प्रावधान शामिल हैं, क्योंकि यह भारत के संविधान की अनुसूची **VII** की सूची **III** की प्रविष्टि 25 के तहत आता है, यानी समवर्ती सूची और इस विषय पर संघ द्वारा बनाया गया कोई विपरीत विधि नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि राज्य अधिनियम केवल निजी संस्थानों के शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति के मामले में

सीमित तरीके से अधिकार को विनियमित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संघ द्वारा निर्धारित मानक वास्तव में कार्यान्वित और बनाए रखे गए हैं। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि यूजीसी द्वारा अनुशंसित चयन समितियां केवल प्रकृति में अनुशंसित हैं, यह न तो आज्ञापक है और न ही यू.जी.सी. अधिनियम के प्रावधान द्वारा समर्थित है, जबकि परिनियम 28 पूरी तरह से राज्य अधिनियम द्वारा प्रदत्त विधिक शक्तियों द्वारा समर्थित है। परिनियम द्वारा प्रदान की गई चयन समितियां भी मुख्य रूप से शिक्षाविदों और विषय विशेषज्ञों की समितियां हैं जो उचित सम्मान की मांग कर सकती हैं और उपयुक्त व्यक्तियों के चयन को सुनिश्चित कर सकती हैं। परिनियम 28 चयन समिति के गठन का प्रावधान करता है, इसलिए यह किसी भी तरह से अधिकारातित नहीं है।

12. राज्य द्वारा दाखिल किए गए जवाब के अनुसार, यूजीसी द्वारा बनाए गए विनियम विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. यूजीसी द्वारा दाखिल किए गए जवाब के अनुसार भी, उक्त विनियम बाध्यकारी हैं।

14. हमने पक्षकारो के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना।

15. सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से चयन की एक निष्पक्ष, न्यायसंगत और पारदर्शी प्रक्रिया का "समन्वय और मानकों के रखरखाव" से सीधा संबंध है और इसलिए, सर्वश्रेष्ठ सामग्री का चयन करने के उद्देश्य से एक चयन समिति का गठन निश्चित रूप से शैक्षणिक संस्थानों में उच्च मानकों को प्राप्त करने के लिए है। विनियम, 2000 के कंडिका 3.1.0 और 3.5.0 से, यूजीसी का आशय चयन समिति को यथासंभव अधिक से अधिक शिक्षाविदों और विषय विशेषज्ञों से

भरना है, ताकि नियुक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं का चयन किया जा सके। मद्रास उच्च न्यायालय की युगलपीठ ने सचिव, कामराज महाविद्यालय (पूर्वपत्र) (सुप्रा) के मामले में निर्णय के कंडिका 25 और 26 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:-

"25. यदि ऐसा है, तो अगला प्रश्न जो विचार के लिए उठता है, वह यह है कि क्या किसी विशेष तरीके से चयन समितियों का गठन एक ऐसा मामला है जिसे **"**समन्वय और मानकों का निर्धारण**"** (सूची **I** की प्रविष्टि 66 से संबंधित) या **"**शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन**"** (सूची **III** की प्रविष्टि 25 से संबंधित) से जोड़ा जा सकता है। अपीलकर्ताओं का तर्क है कि जबकि शिक्षकों के लिए योग्यता का निर्धारण **"**समन्वय और मानकों के निर्धारण**"** के दायरे में आएगा, किसी विशेष तरीके से चयन समितियों के गठन का **"**समन्वय और मानकों के निर्धारण**"** से कोई लेना-देना नहीं है। परंतु हम ऐसे तर्क का समर्थन करने में असमर्थ हैं। आक्षेपित विनियमन द्वारा निर्धारित योग्यताएं केवल बेंच मार्क या बॉटम लाइन, यानी, चयन के लिए पात्रता मानदंड को इंगित करती हैं। सभी उम्मीदवार, जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, किसी भी पद पर स्वचालित नियुक्ति के लिए दावा नहीं कर सकते हैं। जो उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, वे केवल नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का दावा कर सकते हैं और एक चयन समिति के गठन का उद्देश्य, नियुक्ति प्राधिकारी को उन सभी पात्र व्यक्तियों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करने में सक्षम बनाना है। यदि पात्र व्यक्तियों की सूची में से किसी उम्मीदवार का चयन, प्रबंधन के अधिकार का उल्लंघन करता है, तो भी तमिलनाडु अधिनियम ने उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए चुनने के लिए **"**महाविद्यालय समिति**"** के गठन का प्रावधान नहीं किया होता। वास्तव में, तमिलनाडु प्राइवेट कॉलेज (विनियमन) नियम भी **"**योग्यता और अर्हता**"** पर जोर देते हैं, जब यह शिक्षण पदों पर पदोन्नति के लिए किसी उम्मीदवार के चयन से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

संबंधित होता है। उक्त नियम का नियम 11(4) यह स्पष्ट करता है कि शिक्षण कर्मचारियों के संबंध में पदोन्नति योग्यता और क्षमता के आधार पर की जाएगी, वरिष्ठता को केवल वहीं माना जाएगा जहां योग्यता और क्षमता लगभग समान हों। इसलिए, सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को रखने के उद्देश्य से चयन की एक निष्पक्ष, न्यायसंगत और पारदर्शी प्रक्रिया, सीधे "मानकों के समन्वय और रखरखाव" से संबंधित है और इसलिए सर्वश्रेष्ठ सामग्री का चयन करने के उद्देश्य से एक चयन समिति का गठन, निश्चित रूप से शैक्षणिक संस्थानों में उच्च मानकों को प्राप्त करने के लिए है। निस्संदेह, विषय "समन्वय और मानकों का रखरखाव" सूची 1की प्रविष्टि 66 के अंतर्गत आता है, और इस प्रकार केंद्रीय विधि यानी यूजीसी अधिनियम, 1956 के तहत यूजीसी द्वारा बनाए गए विनियम राज्य अधिनियम पर प्रभावी होंगे। उपरोक्त सीमा तक, हम मद्रास उच्च न्यायालय की युगलपीठ द्वारा ऊपर संदर्भित मामले में लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं। यद्यपि, उक्त विनियम विश्वविद्यालय की अपने शिक्षकों का चयन करने की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं। विश्वविद्यालय अभी भी महाविद्यालय के शासी निकाय के अध्यक्ष या उसके नामित व्यक्ति के स्थान पर कुलपति या उसके नामित व्यक्ति की अध्यक्षता में अपने शिक्षकों का चयन कर सकता है, जो चयन समिति के अध्यक्ष होंगे। उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों/प्राचार्यों का होना है। वास्तव में, कुलपति या उसके नामित व्यक्ति की अध्यक्षता में चयन समिति, सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों और प्राचार्यों का चयन करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रभावी होगी और संघ के क्षेत्र पर किसी भी तरह से अतिक्रमण नहीं करेगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. आइए हम विनियम, 2000 और अधिनियम, 1973 के तहत चयन समिति की संरचना के बीच के अंतर की जांच करें। तुलनात्मक चार्ट नीचे दिया गया है:-

<u>राज्य अधिनियम के तहत</u>	<u>चयन की प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:-</u>
1. 28(17)(1) **प्राचार्य** की नियुक्ति के लिए चयनसमिति में शामिल होंगे - **i)** विश्वविद्यालय के कुलपति या उनके नामित - अध्यक्ष। 2. शासी निकाय का एक प्रतिनिधि जो उसके सदस्यों में से शिक्षकों के प्रतिनिधियों के अलावा नामांकित हो। 3. संकायों के अधिवक्ता में से एक, जिसमें महाविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले/पढ़ाए जाने वाले विषयों को शामिल किया गया है, जिसे कुलपति द्वारा नामित किया गया है। 4. कार्यकारी परिषद द्वारा नामित एक व्यक्ति या किसी अनुदान प्राप्त महाविद्यालय के मामले में, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग द्वारा	**3.5.0. प्राचार्य के पद हेतु** 1-शासी बोर्ड के अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी के रूप में। 2.शासी बोर्ड का एक सदस्य, जिसे अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा। 3.कुलपति द्वारा नामित दो व्यक्ति, जिनमें से एक विशेषज्ञ होना चाहिए**।** 4.तीन विशेषज्ञ, जिनमें एक महाविद्यालय का प्राचार्य, एक प्राध्यापक और एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद् (जो प्राध्यापक के पद से नीचे न हो) शामिल होंगे (जिन्हें कुलपति द्वारा अनुमोदित विशेषज्ञों के पैनल में से शासी बोर्ड द्वारा नामित किया जाएगा). गणपूर्ति के लिए कम से कम चार सदस्य, जिनमें दो विशेषज्ञ शामिल हों,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नामित एक व्यक्ति। परन्तु "संस्थापक समिति द्वारा प्रथम प्राचार्य की नियुक्ति, शासी निकाय के सभापति के स्थान पर संस्थापक समिति का अध्यक्ष चयन समिति का अध्यक्ष होगा और शासी निकाय के प्रतिनिधि के स्थान पर संस्थापक समिति का एक प्रतिनिधि, जो उसके सदस्यों में से मनोनीत किया गया हो, चयन समिति का सदस्य होगा।" महाविद्यालय के शिक्षकों (प्राचार्य के अलावा) की नियुक्ति के लिए चयन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे: क) विश्वविद्यालय के कुलपति या ख) उनके द्वारा नामित अध्यक्ष। i. फाउंडेशन सोसाइटी के अध्यक्ष या शासी निकाय के ii. अध्यक्ष, इस आधार पर कि फाउंडेशन सोसाइटी **iii.** या शासी निकाय ही नियुक्ति प्राधिकारी है। iv. नियुक्ति प्राधिकारी, फाउंडेशन सोसाइटी या शासी निकाय का एक	आवश्यक होंगे. "चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए :- क) शिक्षण और अनुसंधान के लिए योग्यता का आकलन ख) स्पष्ट और प्रभावी ढंग से संवाद (बातचीत) करने की क्षमता। ग) विश्लेषण और चर्चा करने की क्षमता। घ) वैकल्पिक: जहां भी संभव हो, उम्मीदवार को समूह चर्चा में भाग लेने या कक्षा की स्थिति/व्याख्यान के संपर्क में आने के लिए कहकर संवाद करने की क्षमता का आकलन किया जा सकता है।" राज्य लोकसेवा आयोग को तीन विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित करना होगा जिनके लिए राज्य लोकसेवा आयोग चयन में विश्वविद्यालय को शामिल करेगा। चयन समिति में प्राचार्य और विभाग के प्रमुख को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए**।** "बैठक के लिए गणपूर्ति (कोरम) पाँच होनी चाहिए, जिनमें से कम से कम दो तीन विषय विशेषज्ञों में से होने चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो, जो अपने सदस्यों में से (शिक्षकों के प्रतिनिधियों को छोड़कर)उसके द्वारा नामित किया गया हो। v. संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ—एक कुलपति द्वारा और दूसरा म.प्र. उच्च शिक्षा अनुदान आयोग द्वारा नामित (अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के मामले में)।	और दोनों गैर-अनुदानित महाविद्यालयों के मामले में कुलपति द्वारा नामित। **iv**. महाविद्यालयों का प्राचार्य – सदस्य सोसायटी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. यह देखा गया है कि यूजीसी विनियमों द्वारा परिकल्पित चयन समिति की अध्यक्षता महाविद्यालयों के शासी निकाय/बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जबकि राज्य 28(17) द्वारा परिकल्पित चयन समिति की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति या उनके नामित व्यक्ति द्वारा की जाती है। यूजीसी विनियमों द्वारा अनुशंसित चयन समिति में धारा 28(17) के तहत गठित समिति की तुलना में अधिक संख्या में शिक्षाविद और विषय विशेषज्ञ शामिल हैं। समिति में अधिक संख्या में शिक्षाविद और विषय विशेषज्ञों को शामिल करने की सिफारिश करने वाले यूजीसी विनियमों द्वारा निर्धारित चयन समिति, अधिक विश्वसनीयता रखती है और यह निश्चित रूप से उच्च शैक्षणिक मानक के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव को सुनिश्चित करेगी, जिसका उत्तरवादीयों द्वारा पालन किया जाएगा।

18 . उच्चन्यालय ने 1994 सप्लीमेंट (3) एस. सी. सी. 516 में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली – बनाम – राज सिंह के मामले की कंडिका 21 और 24 में निम्नलिखित कहा है:-

> 21. अब हम उक्त विनियमों का विश्लेषण करने की ओर बढ़ते हैं। वे एक केंद्रीय अधिनियम, एक प्रांतीय अधिनियम या एक राज्य अधिनियम के तहत स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय, प्रत्येक संस्थान, जिसमें यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय के परामर्श से मान्यता प्राप्त एक घटक या एक मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों जो की संबंधित विश्वविद्यालय के परामर्श से यु.जी.सी द्वारा स्वीकृत हो। उक्त विनियमों का उद्देश्य व्यापक संभव अनुप्रयोग रखना है, जैसा कि उन्हें करना ही होगा यदि उन्हें इच्छित उद्देश्य की पूर्ति करनी है, अर्थात् यह सुनिश्चित करना कि व्याख्याता के पद के लिए सभी आवेदक, उन्होंने किसी भी विश्वविद्यालय से न्यूनतम योग्यता प्राप्त की हो, यह स्थापित करें कि उनके पास देश के सभी विश्वविद्यालयों में व्याख्याताओं के लिए आवश्यक दक्षता है। उक्त विनियमों के खंड 2 का यही अधिदेश है, इस प्रकार:
>
> "किसी भी व्यक्ति को विश्वविद्यालय में... किसी विषय में शिक्षण पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि वह अनुसूची 1 में दिए गए उपयुक्त विषय के लिए योग्यता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।"
>
> खंड 2 का पहला परंतुक एक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अर्हता में छूट की अनुमति देता है, बशर्ते यह यू.जी.सी. की पूर्व स्वीकृति से किया गया हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि धारा 26(1)(ई) के प्रावधानों के तहत बनाए गए उक्त विनियम, उन योग्यताओं को परिभाषित करते

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हैं जो आमतौर पर और अनिवार्य रूप से एक व्याख्याता के लिए आवश्यक नहीं हैं। खंड 2 का दूसरा परंतुक उक्त विनियमों के आवेदन को संभावित बनाता है। उक्त विनियमों का खंड 3 एक विश्वविद्यालय द्वारा खंड 2 में की गई सिफारिश का पालन करने में विफलता के परिणाम के लिए प्रावधान करता है, उन्हीं शर्तों पर जो यू.जी.सी. अधिनियम की धारा 14 में निर्धारित हैं। इसलिए, उक्त विनियमों के खंड 2 के प्रावधान प्रकृति में अनुशंसनात्मक हैं। एक विश्वविद्यालय के लिए खंड 2 के प्रावधानों का पालन करना संभव होगा कि वह केवल ऐसे व्यक्तियों को व्याख्याताओं के रूप में नियुक्त करे जो अनुसूची में दिए गए उपयुक्त विषय के लिए योग्यता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हों जेसा की उक्त विनियम के अनुसूची में दिया गया हे । विशिष्ट मामलों में, यह विश्वविद्यालय के लिए इन आवश्यकताओं को शिथिल करने के लिए यू.जी.सी. की पूर्व स्वीकृति लेने के लिए भी खुला होगा। फिर भी, यह विश्वविद्यालय के लिए खंड 2 के प्रावधानों का पालन न करने के लिए खुला होगा, जिस स्थिति में, यदि वह यू.जी.सी. को यह संतुष्ट करने में विफल रहता है कि उसने अच्छे कारण के लिए ऐसा किया है, तो वह यू.जी.सी. से अपना अनुदान खो देगा। उक्त विनियम विश्वविद्यालय की अपने शिक्षकों का चयन करने की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालते हैं। विश्वविद्यालय अभी भी लिखित परीक्षा और साक्षात्कार या दोनों के माध्यम से अपने व्याख्याताओं का चयन कर सकता है। उक्त विनियमों द्वारा निर्धारित बुनियादी पात्रता परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को कोई अंक या रैंक नहीं दिया जाता है और इसलिए, जिन सभी ने इसे उत्तीर्ण किया है, वे

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

समान स्तर पर खड़े हैं। इसलिए, प्रक्रिया में चयन का कोई आधार नहीं है। विश्वविद्यालय की स्वायत्तता उक्त विनियमों द्वारा प्रभावित नहीं होती है।

24. अब उस निर्देश को स्पष्ट करना उचित है जो दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को अनुमति देते हुए जारी किया था। इसने माना कि 19 सितंबर, 1991 की अधिसूचना, जिसके द्वारा उक्त विनियम प्रकाशित किए गए थे, वैध और अनिवार्य थी और दिल्ली विश्वविद्यालय विधि के तहत उसका पालन करने के लिए बाध्य था। दिल्ली विश्वविद्यालय को अपने और अपने संबद्ध और अधीनस्थ महाविद्यालयों के लिए व्याख्याताओं का चयन अधिसूचना के अनुसार सख्ती से करने का निर्देश दिया गया था। संक्षेप में, दिल्ली विश्वविद्यालय उक्त विनियमों का पालन करना आज्ञापक है। जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है, इसलिए, दिल्ली विश्वविद्यालय अपने और अपने संबद्ध महाविद्यालयों में एक व्याख्याता के रूप में ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है जिसने उक्त विनियमों द्वारा निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण की है: या वह किसी विशिष्ट मामले में इस आवश्यकता को शिथिल करने के लिए पूर्व स्वीकृति ले सकता है, या वह एक व्याख्याता के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर सकता है जो इस आवश्यकता को पूरा नहीं करता है जब तक कि पहले यूजीसी की मंजूरी प्राप्त की जाए, जिस स्थिति में, यदि यह यूजीसी को उक्त विनियमों का पालन करने में अपनी विफलता का कारण दिखाने में विफल रहता है, तो यह यूजीसी से अपने अनुदान को जब्त कर लेगा। हालाँकि, यदि यह यूजीसी को संतुष्ट करने के लिए कारण दिखाता है, तो यह न केवल

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपने अनुदान को जब्त नहीं करेगा, बल्कि यूजीसी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना की गई नियुक्ति भी नियमित हो जाएगी।

19. मामले के हर पहलू पर विचार करते हुए, हमारी राय है कि उत्तरवादी संख्या 3/विश्वविद्यालय निजी गैर- अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के प्राचार्य और शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति का गठन करेगा, जिसमें यूजीसी विनियम 3.1.0 और 3.5.0 द्वारा अनुशंसित शिक्षाविदों और विषय विशेषज्ञों के सदस्य शामिल होंगे, इस संशोधन के साथ कि उक्त समिति की अध्यक्षता कुलपति या उनके नामित व्यक्ति द्वारा समिति के अध्यक्ष के रूप में की जा सकती है। विश्वविद्यालय इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर उपरोक्त कार्यवाही को पूरा करेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. परिणामस्वरूप, याचिका को उपरोक्त निष्कर्ष और निर्देशों के साथ निराकृत किया है।

21. व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

हस्ता./	हस्ता./
एल.एम. कुद्दुसी	एन.के. अग्रवाल
न्यायाधीश	न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

tranlated by priti rout